



सार्वजनिक नीलामी द्वारा सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियमानुसार) (नियम 8 (6) के तहत)

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) एवं सहपठित नियमों के अंतर्गत ऋणकर्ता एवं सहपुत्रियों को उनके समुख अंकित तिथियों को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अंदर मांग सूचना पत्र में वर्णित धनराशि अदा करने की मांग की थी। ऋणी/सहअनुबंधियों/बंधककर्ताओं द्वारा उपरोक्त समय अस्थि में उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) एवं सहपठित नियम (8) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न वर्णित खातों में उनके समुख अंकित तिथियों में बंधक सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया। इस पर भी ऋणी/ सहअनुबंधियों बंधककर्ताओं द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण बैंक में बंधक अचल सम्पत्ति को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार नीलामी द्वारा विक्रय किया जाएगा। अतः इच्छुक व्यक्तियों को नीलामी में सम्मिलित होने हेतु आमन्त्रित किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी/ सहअनुबंधियों / शाखा का विवरण	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि / मांग सूचना की देय राशि/ कब्जे की तिथि व स्थिति	न्यूनतम आरक्षित मूल्य/धरोहर राशि/धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि व समय नीलामी का स्थान
1.	ऋणी : मैसर्स सैनी मैटल, प्रोपराइटर श्री चोखेलाल पुत्र श्री रामरत्नरूप सैनी, निवासी महबुल्ला गंज, रामपुर रोड, मुरादाबाद, सहअनुबंधी : 1. श्री अरुण सैनी पुत्र श्री चोखेलाल, 2. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रतनलाल।	एक रिहायशी मकान, गाटा संख्या: 27 स्थित है सिहोरा गोविंद, बाहरी चुंगी, मुरादाबाद, जिसका क्षेत्रफल: 98.91 वर्ग मीटर है एवं जोकि विक्रय विलेख संख्या: 20307/ 2018 द्वारा उपनिबंधक कार्यालय, मुरादाबाद में श्री अरुण सैनी पुत्र श्री चोखेलाल के नाम पंजीकृत है, सम्पत्ति की चतुरसीमाएँ: पूर्व: रास्ता 5 फुट 6 इंच चौड़ा, पश्चिम: मकान गुप्ताजी, उत्तर: मकान सूरज सैनी, दक्षिण: मकान चोखे लाल सैनी।	20.07.2023 रु. 11,77,048.18 दिनांक 30-06-2023 तक 26-10-2023 सांकेतिक	रु. 14,45,000/- रु. 1,45,000/- दिनांक 18.12.2024 नीलामी से पूर्व	दिनांक 18.12.2024 पूर्वाह्न: 12.30 बजे से अपराह्न: 04.00 बजे तक प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक हनुमान मूर्ति शाखा परिसर, मुरादाबाद
2.	ऋणी : श्री रोशनलाल पुत्र श्री जयराम एवं श्रीमती मधुबाला पत्नी श्री रोशनलाल, निवासीगण मकान संख्या 67, रोडवेज वर्कशॉप के पीछे, महबुल्ला गंज, कमला नगर, मुरादाबाद। सहअनुबंधी : 1. श्री रवि शर्मा पुत्र श्री प्रहलाद शर्मा, 2. श्री शिवा शर्मा पुत्र श्री प्रहलाद शर्मा।	एक दो मंजिला मकान, गाटा संख्या: 33 स्थित है सिहोरा गोविंद, कमला नगर, निकट लाजपत नगर, रोडवेज वर्कशॉप के पीछे, मुरादाबाद, जिसका क्षेत्रफल: 70.50 वर्ग मीटर है एवं जोकि विक्रय विलेख संख्या: 6140/1996 द्वारा उपनिबंधक कार्यालय प्रथम, मुरादाबाद में श्री रोशनलाल पुत्र श्री जयराम, एवं श्रीमती मधुबाला पत्नी श्री रोशनलाल के नाम पंजीकृत है, सम्पत्ति की चतुरसीमाएँ: पूर्व: संपत्ति महेश चंद्र रस्तोगी वाली अब मकान रजत, पश्चिम: रास्ता 2.45 व 40 मी 0 चौड़ा, उत्तर: संपत्ति किशोर देवी अब मकान अरवनी, दक्षिण: रास्ता 12.50 फुट चौड़ा।	11.10.2023 रु. 7,72,920/- दिनांक 01-10-2023 तक 02-01-2024 सांकेतिक	रु. 30,18,000/- रु. 3,01,800/- दिनांक 18.12.2024 नीलामी से पूर्व	दिनांक 18.12.2024 पूर्वाह्न: 12.30 बजे से अपराह्न: 04.00 बजे तक प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक हनुमान मूर्ति शाखा परिसर, मुरादाबाद
3.	ऋणी : श्री अरुण सैनी पुत्र श्री चोखेलाल एवं श्रीमती पूजा सैनी पत्नी श्री राजेन्द्र सैनी, निवासीगण महबुल्ला गंज, कटघर, मुरादाबाद। सहअनुबंधी : 1. श्री चोखेलाल पुत्र श्री चरनरूप सैनी, 2. श्री ग्रीश सैनी पुत्र श्री ख्याली सिंह। ऋणी : श्री अरुण सैनी पुत्र श्री चोखेलाल, निवासी: महबुल्ला गंज, कटघर, मुरादाबाद। सहअनुबंधी : 1. श्रीमती पूजा सैनी पत्नी श्री राजेन्द्र सैनी, 2. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रतन लाल।	एक रिहायशी मकान, गाटा संख्या: 156 स्थित है देहरी मुस्तकम, मोह0 कमला बिहार दक्षिणी, लक्ष्मी नगर, समर धाम के सामने, निवासीगण क्षेत्रफल: 70 वर्ग मीटर है एवं जोकि विक्रय विलेख संख्या: 7217/2017 द्वारा उपनिबंधक कार्यालय- प्रथम, मुरादाबाद में श्री अरुण सैनी पुत्र श्री चोखेलाल के नाम पंजीकृत है, सम्पत्ति की चतुरसीमाएँ: पूर्व: भूखंड स0 25 पश्चिम: भूखंड स0- 27 श्रीमती आराधना, उत्तर: भूखंड अन्य, दक्षिण: रास्ता 12 फुट चौड़ा।	17.02.2024 रु. 2,89,119/- दिनांक 30-09-2021 तक रु. 3,95,703.34 दिनांक 01-07-2021 तक 11-03-2024 सांकेतिक	रु. 12,43,000/- रु. 1,24,300/- दिनांक 18.12.2024 नीलामी से पूर्व	दिनांक 18.12.2024 पूर्वाह्न: 12.30 बजे से अपराह्न: 04.00 बजे तक प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक हनुमान मूर्ति शाखा परिसर, मुरादाबाद
4.	ऋणी : श्री कमल सिंह पुत्र श्री लेखराज सिंह, निवासी: पीतल बस्ती, सूरज नगर, मुरादाबाद। सहअनुबंधी : 1. श्री राम कुमार सैनी पुत्र श्री मोहनलाल, 2. श्री पूरन सैनी पुत्र श्री गंगाराम।	एक भूखंड चाहर दीवारी सहित, गाटा संख्या: 268/31/1 स्थित है ग्राम- देहरी मुस्तकम, मोह0- सूरज नगर, मुरादाबाद, तहसील एवं जिला मुरादाबाद, जिसका क्षेत्रफल: 70 वर्ग मीटर है एवं जोकि विक्रय विलेख संख्या: 7056/ 2018 द्वारा उपनिबंधक कार्यालय-प्रथम मुरादाबाद में श्री कमल सिंह पुत्र श्री लेखराज सिंह के नाम पंजीकृत है, सम्पत्ति की चतुरसीमाएँ: पूर्व: मकान मुकेश, पश्चिम: मकान राधेश्याम वैद्य जी, उत्तर: मकान अन्य शख्स, दक्षिण: रास्ता 12 फुट चौड़ा।	17.02.2024 रु. 5,20,852/- दिनांक 01-01-2024 तक 15-05-2024 सांकेतिक	रु. 7,56,000/- रु. 75,600/- दिनांक 18.12.2024 नीलामी से पूर्व	दिनांक 18.12.2024 पूर्वाह्न: 12.30 बजे से अपराह्न: 04.00 बजे तक प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक हनुमान मूर्ति शाखा परिसर, मुरादाबाद
5.	ऋणी : श्रीमति सुनन देवी पत्नी श्री ब्रजपाल प्रजापति, निवासी: ब्लॉक सी, गोविंद नगर, रामकैलाश की चक्की के पास, मुरादाबाद। सहअनुबंधी : 1. श्री ब्रजपाल प्रजापति श्री छोटेलाल प्रजापति, 2. श्री अजय सैनी पुत्र श्री सुभाष सैनी।	एक रिहायशी मकान, गाटा संख्या: 136 स्थित है ग्राम कल्याणपुर मुस्तकम, मुरादाबाद, तहसील एवं जिला मुरादाबाद। जिसका क्षेत्रफल- 59.72 वर्ग मीटर है एवं जोकि विक्रय विलेख संख्या: 17745/2018 द्वारा उपनिबंधक कार्यालय प्रथम, मुरादाबाद में श्रीमति सुनन देवी पत्नी श्री ब्रजपाल प्रजापति के नाम पंजीकृत है, सम्पत्ति की चतुरसीमाएँ: पूर्व: मकान किशनलाल, पश्चिम: रास्ता 10 फुट चौड़ा, उत्तर: भूखंड नारायण वाला अब मकान, दक्षिण: भूखंड विक्रेता अब मकान।	02.05.2024 रु. 5,09,853/- दिनांक 01-02-2024 तक 20-07-2024 सांकेतिक	रु. 9,51,000/- रु. 95,100/- दिनांक 18.12.2024 नीलामी से पूर्व	दिनांक 18.12.2024 पूर्वाह्न: 12.30 बजे से अपराह्न: 04.00 बजे तक प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक हनुमान मूर्ति शाखा परिसर, मुरादाबाद
6.	ऋणी : श्री दिनेश चंद्र पुत्र श्री मोतीराम, निवासी: नन्द कालोनी, पीतल नगरी, पोस्ट कटघर, मुरादाबाद। सहअनुबंधी : 1. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री मोतीराम, 2. श्रीमती दुलारी देवी उर्फ राजदुलारी पत्नी श्री बेनी प्रसाद।	एक रिहायशी मकान स्थित है ग्राम देहरी मुस्तकम, मोह0- नन्द कालोनी, मुरादाबाद, तहसील एवं जिला मुरादाबाद, जिसका क्षेत्रफल: 70.26 वर्ग मीटर है एवं जोकि विक्रय विलेख संख्या: 19235/ 2015 द्वारा उपनिबंधक कार्यालय- प्रथम, मुरादाबाद में श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री मोतीराम के नाम पंजीकृत है, सम्पत्ति की चतुरसीमाएँ: पूर्व: मकान घोषी वाला, पश्चिम: गली 6 फुट 6 इंच चौड़ी, उत्तर: संपत्ति पीतल नागरी की अब संपत्ति ब्रास एसोसिएशन, दक्षिण: मकान ठाकुर करन सिंह।	08.12.2023 रु. 3,86,847/- दिनांक 02-11-2023 तक 11-03-2024 सांकेतिक	रु. 17,12,000/- रु. 1,71,200/- दिनांक 18.12.2024 नीलामी से पूर्व	दिनांक 18.12.2024 पूर्वाह्न: 12.30 बजे से अपराह्न: 04.00 बजे तक प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक हनुमान मूर्ति शाखा परिसर, मुरादाबाद

नीलामी की नियम एवं शर्तें :- 1. नीलामी के समय, बोलीदाता को ईएमडी के लिए ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करना होगा, जो प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक के पक्ष में देय हो, बोली से पूर्व जमा करना होगा। 2. बोलीदाता को अपना आधार कार्ड/पैन कार्ड साथ लाना होगा। 3. जैसे ही सफल बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाती है उसे उसी दिन नीलामी बोली का 25% (धरोहर राशि समायोजित करते हुए) जमा करना होगा तथा शेष रकम 15 दिनों में अंदर जमा करना होगा अन्यथा पूर्व में जमा की गयी रकम को जब्त कर लिया जाएगा। 4. उपरोक्त सम्पत्तियों को 'अंश है वहाई है, जो भी है' के आधार पर विक्रय किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 5. असफल बोलीदाताओं का ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी सम्पत्ति की नीलामी के बाद उसी दिन बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। 6. हस्तांतरण से संबंधित व्यय जैसे स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्को आदि और अन्य सभी विधायी व्यय सफल बोलीदाताओं द्वारा वहन किए जाएंगे। 7. सम्पत्ति पर सभी सरकारी कर और बकाये की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। 8. अन्य जानकारी के लिए, किसी भी कार्य दिवस पर प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक की सम्बन्धित शाखा से सम्पर्क करें। 9. नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी और बोलीदाताओं को पांच हजार (5,000) के गुणांकों में अपनी बोली में सुधार करना होगा। नीलामी समाप्त हो जाने पर सर्वोच्च बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। 10. यदि ऋणी नीलामी से पूर्व बैंक को सम्पूर्ण धनराशि एवं देय ब्याज अन्य व्यय सहित मुतातान कर देता है तो उपरोक्त खाते में बंधक सम्पत्ति की नीलामी को रद्द कर दिया जाएगा। 11. यह सूचना ऋणी, सहअनुबंधी एवं बंधककर्ताओं को 30 दिनों की सूचना के रूप में पढ़ा जाए।